(2)

प्रार्थना पत्र

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
संगरिया.

विषयः—चक 4MMK के खाता संख्या 165/108 मे दर्ज खातेदार का नाम दुरूस्त करवाने बाबत्।

श्रीमान जी,

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि प्रार्थी पालाराम पुत्र लदाराम जाति कुम्हार निवासी लीलावाली के नाम से चक 4MMK जमाबन्दी सम्वत 2073—76 के खाता संख्या 165/108 मे कुल खाता 2.165है0 मे से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज है जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम पालासिंह पुत्र लदाराम है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड व वोटर कार्ड अन्य सम्बन्धित दस्तावेजो मे नाम पालाराम पुत्र लदाराम दर्ज है। प्रार्थी को कृषि भूमि पर बैंक से ऋण लेने पर आधार कार्ड व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजो मे नाम पालाराम पुत्र लदाराम व जमाबन्दी मे पालासिंह पुत्र लदाराम नाम दर्ज होने के कारण काफी परेशानी हो रही है इसलिये प्रार्थी जमाबन्दी मे नाम पालासिंह से दुरूस्त करवाकर पालाराम दर्ज करवाना चाहता हैं।

244

अतः श्रीमान जी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि तहसीलदार राजस्व संगरिया को आदेशित किया जावे की प्रार्थी का नाम जमाबन्दी चक 4MMK खाता संख्या 165/108 मे दर्ज पालासिंह के स्थान पर पालाराम कर दिया जावे।

श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

दिनांक—08/12/2023

प्रार्थी

पालाराम

पालाराम पुत्र लदाराम
जाति कुम्हार निवासी लीलावाली
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official